>

Title: Need to extend Agricultural Debt Waiver Scheme to all the farmers of Uttarakhand who fulfil eligibility criteria-laid.

*m01

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): महोदया, आपके माध्यम से किसानों के ऋण माफी योजना के अंतर्गत लोक महत्व के अति गंभीर विषय की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कृषि माफी एवं एकमुश्त समझौता योजना के अनुसार किसानों के लघु अवधि उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण जो 31 मार्च, 2007 तक वितरित किए गए तथा जो 29 फरवरी, 2008 तक बकाया है, केन्द्र सरकार के इस दिशा निर्देश के अनुसार योजना के पात्र होंगे।

मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड की सहकारी समितियां केन्द्र सरकार के 31 मार्च, 2007 तक वितरित किए गए ऋण के दिशा निर्देश को नहीं मान रही है। कृषि ऋण माफी योजना में उन्हीं किसानों को शामिल किया गया है जिनको 28 फरवरी, 2007 तक ऋण वितरित किया है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड के सहकारी समितियों को निर्देश जारी किया जाये कि 31 मार्च, 2007 तक वितरित ऋण और 29 फरवरी, 2008 तक बकाए ऋण के दिशा निर्देश को किसानों के ऋण माफी और एकमुश्त समझौता योजना में शामिल किया जाये, जिससे उत्तराखंड के अधिक से अधिक गरीब किसानों को इस ऐतिहासिक योजना का लाभ मिल सके।